राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 36/2024

अपीलांटः– **बनाम** **रेस्पोडेंटः –**

1. श्री खेमसिंह जोधा ग्राम पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

1 तहसीलदार समदड़ी

आदेश

दिनांक 04.12.2024

अपीलार्थी श्री खेमसिंह जोधा ग्राम पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने यह प्रथम अपील अप्रार्थी तहसीलदार समदड़ी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 19.11.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार समदड़ी को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचनाप्रश्नात्मक श्रेणी की होने तथा बिन्दु 2 में चाही गई सूचना कार्यालय रिर्माड में उपलब्ध नहीं होने हो के संबंध में कार्यालय तहालदार समदड़ी के पत्रांक/आरटीआई/2024/788 दिनांक 01.10.2024 को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई गई है। साथ ही अपीलार्थी को दूरभाष से वार्ता कर सूचित किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निरस्तारित की जाये।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना बहुतायत, अस्पष्ट, विशिष्टिविहिन एवं प्रश्नात्मक सूचना है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) के अनुसार प्रश्नात्मक सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है। साथ ही अपीलांट को वांछित सूचना अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार समदड़ी के पत्रांक/आरटीआई/2024/788 दिनांक 01.10.2024 को जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध करवा दी गई है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा